न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

नि-2556-I/16

1. मनकू सौंर पुत्री जुझार सौंर
2. नाजनीन बेगम पत्नि मु0 यूनिस मुसलमान
   निवासी ग्राम बल्देवगढ तह. बल्देवगढ जिला
   टीकमगढ

......................निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 303/अ–21/12–13 में पारित आदेश दिनांक 29/3/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बल्देवगढ स्थित भूमि खसरा क्र 1381ब, 1381स, 1381ग, 1381च, 1381प कुल रकवा 0.413 हे. की भूमिस्वामी आवेदक क्र 1 थी तथा उसको अपनी पुत्री के विवाह व पति के इलाज हेतु पैसों की आवश्यकता होने के कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा कलेक्टर टीकमगढ द्वारा अपने दिनांक 17/9/09 के माध्यम से आवेदक क्र 1 को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय की गयी जिसके आधार आवेदक क्र 2 द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से आवेदक क्र 1 से निर्धारित प्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की गयी तथा राजस्व अभिलेख में उसके नाम का नामांतरण भी स्वीकृत किया गया परंतु क्लेक्टर टीकमगढ द्वारा बिना किसी आधार के अपने पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुर्नविलोकन की अनुमति प्राप्त कर विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

94251-71223
9009209222

AXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2556/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.7.16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 303/अ–21/वर्ष 12–13 में पारित आदेश दिनांक 29/3/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। 2– आवेदकगण के विलंब माफ किए जाने के तर्को पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 3– आवेदकगण के तर्क में कहा गया कि ग्राम बल्देवगढ स्थित भूमि खसरा क्र 1381ब, 1381स, 1381ग, 1381च, 1381प कुल रकवा 0.413 हे भूमि आवेदक क्र 1 की भूमि है जिसको उसके द्वारा कलेक्टर टीकमगढ से अनुमति दिनांक 17/9/09 को प्राप्त कर आवेदक क्र 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की गयी थी। तदोपरांत विक्रय की अनुमति वावत् कलेक्टर टीकमगढ के आदेश दिनांक 17/9/09 में यह कमी पाये जाने के कारण की भूमि का उचित प्रतिफल अदा नहीं किया गया है और ना ही यह स्पष्ट है कि भूमि किस को विक्रय की जा रही है संहिता की धारा 51 के अंतर्गत कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पुर्नविलोकन की अनुमति राजस्प मंडल ग्वालियर से प्राप्त की गयी व आदेश दिनांक दिनांक 3/1/13 से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 17/9/09 निरस्त किया गया जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।	

R- 2556 I/16 (अमान्य)

स्थान, तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4— आवेदकगण ने अपने तर्क में यह भी कहा कि भूमि स्वामी मनकू द्वार विधिवत् रूप से विक्रय की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत भूमि का विक्रय किया गया था, जिसकी कलेक्टर द्वारा तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी से जांच करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया था। तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा की थी और कलेक्टर ने निर्धारित गाइड लाईन के आधार पर विक्रय करने की अनुमति दी थी। कलेक्टर टीकमगढ द्वारा बिना किसी आधार के यह निष्कर्ष निकाला है के भूमि का पूर्ण प्रतिफल नहीं दिया गया है जबकि तदसंबंध की कोई शिकायत मनकू द्वारा नहीं की गयी है। पूर्व कलेक्टर द्वारा तत्समय प्रचलित गाइउ लाईन के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी थी तथा तदानुसार ही प्रतिफल का भुगतान किया गया था। यदि कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के नाम से विक्रय की अनुमति दी जाती तब ऐसी स्थिति वह व्यक्ति सुविधा एंव शर्तो के अनुसार भूमि क्रय करता और विक्रेता को उसका सही मूल्य नहीं मिलता। इस कारण उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया। 5— आवेदकगण की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि भूमि का विक्रय सक्षम अधिकारी की विधिवत् अनुमति प्राप्त करने के बाद किया गया है इसमें किसी प्रकार का कपटपूर्ण संव्यवहार नहीं हुआ है अतएव स्वप्रेरणा से पुर्नविलोकन की कार्यवाही उचित नहीं है। मेरे द्वारा एंव मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भी इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों का निराकरण करते हुए कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को वैध नहीं माना है। जिनकी विषय वस्तु एक समान होने से इस प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। 6— आवेदकगण के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण क्र 16/अ–21/08–09 आदेश दिनांक 17/9/09 में प्रश्नाधीन भूमि को निर्धारित गाइड लाईन के आधार पर विक्रय की अनुमति दी गयी है। विक्रय उपरांत राजस्व अभिलेख में नामांतरण भी हो चुका है। पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भी निराकृत प्रकरण क्र 833/13 रामराजा होम्स विरूद्व शासन एंव अमित कुमार विरूद्व रानी वगैरह में आदेश दिनांक 22/1/14 को पुर्नविलोकन आदेश स्थिर रखते हुए कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/1/13 को निरस्त किया है।	

R 2556.3/16 (टीकमगढ़)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 29/3/16 एंव कलेक्टर टीकमगढ का आदेश दिनांक 3/1/13 निरस्त किए जाते है तथा प्रकरण क्र 16/अ—21/08—09 में पारित आदेश दिनांक 17/9/09 यथावत् रखते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रय के आधार पर किया गया अमल यथावत् रखा जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	